Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 140-2016/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, AUGUST 31, 2016 (BHADRA 9, 1938 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 31st August, 2016

No.34-HLA of 2016/102.— The Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2016 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 34- HLA of 2016

THE HARYANA LEGISLATIVE ASSEMBLY (SALARY, ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 2016

A

BILL

further to amend the Haryana Legislative Assemebly (Salary, Allowances and Pension of Members) Act, 1975.

BE it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Amendment Act, 2016. Short title.

2. In section 2A of the Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Act, 1975 (hereinafter called the principal Act), for the words "thirty thousand rupees", the words "forty thousand rupees" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st April, 2016. Amendment of section 2A of Haryana Act 2 of 1975.

3. In section 3A of the principal Act, for the words "thirty thousand rupees", the words "sixty thousand rupees" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st April, 2016. Amendment of section 3A of Haryana Act 2 of 1975.

4. In section 3B of the principal Act, for the words "five thousand rupees", the words "ten thousand rupees"shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st April, 2016. Amendment of section 3B of Haryana Act 2 of 1975.

Amendment of section 3C of Haryana Act 2 of 1975.

5. In section 3C of the principal Act, for the words “ten thousand rupees”, the words “twenty five thousand rupees” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st April, 2016.

Amendment of section 5 of Haryana Act 2 of 1975.

6. In sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the principal Act, for the words “one thousand five hundred rupees per day”, the words “two thousand rupees per day for maximum fifteen days in a month” shall be substituted with effect from the 1st September, 2016.

Amendment of section 6 of Haryana Act 2 of 1975.

7. In sub-sections (2) and (3) of section 6 of the principal Act, for the word “telephone”, the words “telephone and one mobile phone” shall be substituted respectively and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st April, 2016.

Amendment of section 7 of Haryana Act 2 of 1975.

8. In clause (a) of sub-section (1) of section 7 of the principal Act, for the words “two lac rupees”, the words “three lakh rupees” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st April, 2016.

Amendment of section 7A of Haryana Act 2 of 1975.

9. Clause (b) of sub-section (4) of section 7A of the principal Act shall be omitted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

At present MLAs are being paid Salary @ Rs.30,000/- per month, Constituency Allowance @ Rs.30,000/- per month, Office Allowance @ Rs.10,000/- per month, Samptuary Allowance @ Rs. 5,000/- per month, Daily Allowance @ Rs.1,500/- per day, Free travelling facility @ Rs.2.00 lakh per year and Telephone Allowance @ Rs.15,000/- per month for a telephone at residence under the provisions of the Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Act, 1975.

Keeping in view the rise in the cost of living, it is proposed to increase the Salary of Members of Legislative Assembly from Rs.30,000/- per month to Rs. 40,000/- per month, Constituency Allowance @ Rs.30,000/- per month to Rs.60,000/- per month, Office Allowance @ Rs.10,000/- per month to Rs.25,000/- per month, Sumptuary Allowance @ Rs. 5,000/- per month to Rs. 10,000/-, Daily Allowance @ Rs.1,500/- per day to Rs.2,000/- per day for maximum 15 days in a month, Free travelling facility @ Rs.2.00 lakh per year to Rs.3.00 lakh per year and Telephone Allowance @ Rs.15,000/- per month for a telephone at residence is being substituted to a telephone and a Mobile phone for residence. It is also proposed to omit the Section 7A (4) (b) of the ibid Act.

RAM BILAS SHARMA,
Parliamentary Affairs Minister, Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh:
The 31st August, 2016.

R. K. NANDAL,
Secretary.

FINANCIAL MEMORANDUM

The proposed increase in Salary, Constituency Allowance, Office Allowance, Secretarial Allowance, Daily Allowance and Free Travel Facility of Members of Legislative Assembly will entail an extra expenditure of approximately ₹9,04,14,000/- (Rupees nine crore four lakhs and fourteen thousand only) per year from the State Exchequer. The amount of Daily Allowance can not be ascertained at this stage as this will depend upon the tours of Members.

(प्राधिकृत अनुवाद)

2016 का विधेयक संख्या 34–एच०एल०ए०

हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन विधेयक, 2016

हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1975, को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन अधिनियम, 2016, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1975 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2क में, ''तीस हजार रुपये'' शब्दों के स्थान पर, ''चालीस हजार रुपये'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा प्रथम अप्रैल, 2016 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे। 1975 का हरियाणा अधिनियम 2 की धारा 2क का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3क में, ''तीस हजार रुपये'' शब्दों के स्थान पर, ''साठ हजार रुपये'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा प्रथम अप्रैल, 2016 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे। 1975 का हरियाणा अधिनियम 2 की धारा 3क का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 3ख में, ''पांच हजार रुपये'' शब्दों के स्थान पर, ''दस हजार रुपये'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा प्रथम अप्रैल, 2016 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे। 1975 का हरियाणा अधिनियम 2 की धारा 3ख का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 3ग में, ''दस हजार रुपये'' शब्दों के स्थान पर, ''पच्चीस हजार रुपये'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा प्रथम अप्रैल, 2016 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे। 1975 का हरियाणा अधिनियम 2 की धारा 3ग का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 5 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) के उप–खण्ड (ii) में, ''प्रति दिन एक हजार पांच सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर, ''किसी मास में अधिकतम पन्द्रह दिन के लिए प्रति दिन दो हजार रुपये'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा प्रथम सितम्बर, 2016 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे। 1975 का हरियाणा अधिनियम 2 की धारा 5 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (2) तथा (3) में, ''टेलीफोन'' शब्द के स्थान पर, क्रमशः ''टेलीफोन तथा एक मोबाइल फोन'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा प्रथम अप्रैल, 2016 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे। 1975 का हरियाणा अधिनियम 2 की धारा 6 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 7 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) में, ''दो लाख रुपये'' शब्दों के स्थान पर, ''तीन लाख रुपये'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा प्रथम अप्रैल, 2016 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे। 1975 का हरियाणा अधिनियम 2 की धारा 7 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 7क की उप–धारा (4) के खण्ड (ख) का लोप कर दिया जाएगा। 1975 का हरियाणा अधिनियम 2 की धारा 7क का संशोधन।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

वर्तमान में हरियाणा विधान सभा के सदस्यों को 30,000/– रुपये प्रति मास वेतन, 30,000/– रुपये प्रति मास निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, 10,000/– रुपये प्रति मास कार्यालय भत्ता, सत्कार भत्ता 5,000/– रुपये प्रति मास, 1,500/– रुपये प्रति दिन दैनिक भत्ता, मुफ्त यात्रा सुविधा 2.00 लाख रुपये प्रति वर्ष एवं 15,000/– रुपये प्रति मास आवास पर एक टेलीफोन के लिए टेलीफोन भत्ता, हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1975 के प्रावधान अनुसार दिया जा रहा है।

जीवनोपयोगी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ौतरी के दृष्टिगत यह प्रस्तावित किया गया है कि वेतन 30,000/– रुपये प्रति मास से बढ़ाकर 40,000/– रुपये, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 30,000/– रुपये प्रति मास से बढ़ाकर 60,000/– रुपये, कार्यालय भत्ता 10,000/– रुपये प्रति मास से बढ़ाकर 25,000/– रुपये, सत्कार भत्ता 5,000/– रुपये प्रति मास से बढ़ाकर 10,000/– रुपये, दैनिक भत्ता 1,500/– रुपये प्रति दिन से बढ़ाकर 2,000/– रुपये अधिकतम 15 दिनों के लिए प्रति माह, मुफ्त यात्रा सुविधा 2.00 लाख रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 3.00 लाख रुपये प्रति वर्ष एवं आवास पर एक टेलीफोन के लिए टेलीफोन भत्ता 15,000/– रुपये से बदलकर आवास पर एक टेलीफोन और एक मोबाईल फोन के लिए टेलीफोन भत्ता 15,000/– रुपये प्रति मास कर दिया जाए। यह भी प्रस्तावित है कि प्रतिपूरक भत्ते तथा उक्त अधिनियम की धारा 7क की उप–धारा (4)(ख) को लोप किया जाए।

राम बिलास शर्मा,
संसदीय कार्य मंत्री, हरियाणा।

....

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़:
दिनांक 31 अगस्त, 2016.

आर० के० नांदल,
सचिव।

वित्तीय ज्ञापन

हरियाणा विधान सभा के सदस्यों के वेतन, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, कार्यालय भत्ता, सचिवीय भत्ता, दैनिक भत्ता एवं **मुफ्त** यात्रा सुविधा में प्रस्तावित बढ़ौतरी किए जाने के फलस्वरूप राजकोष पर लगभग 9,04,14,000/–रुपये (नौ करोड़ चार लाख चौदह हजार रुपये) प्रति वर्ष अतिरिक्त खर्चा आएगा। इस स्तर पर दैनिक भत्ते की राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि ये सदस्यों के दौरों पर निर्भर करेगा।

54618—H.V.S.—H.G.P., Chd.